संख्या–82 /XVIII(2)/2018-18(74)/2017

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 06 फरवरी, 2018

विषयः– प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मध्यान्ह् भोजन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय किचन प्रणाली संचालित किये जाने हेतु अक्षयपात्र फाउण्डेशन के पक्ष में भूमि आवंटन विषयक।

महोदय,

शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–392(1)XXIV(1)/2017/न0सृ0अनु0/40/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में मध्यान्ह् भोजन योजना के अन्तर्गत राज्य में प्रथम चरण हेतु 04 जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में केन्द्रीय किचन प्रणाली संचालित किये जाने हेतु अक्षयपात्र फाउण्डेशन के पक्ष में भूमि आवंटन हेतु प्रति किचन दो से ढ़ाई एकड़ भूमि रू0 1000/–(एक हजार मात्र) प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे/लीज पर देते हुए सामुदायिक किचन स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त योजना के परिप्रेक्ष्य में योजना में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम चरण हेतु चयनित जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में केन्द्रीय किचन प्रणाली संचालित किये जाने हेतु अक्षयपात्र फाउण्डेशन के पक्ष में भूमि आवंटन हेतु प्रति किचन दो से ढ़ाई एकड़ भूमि रू0 1000/–(एक हजार मात्र) प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे/लीज पर दिये जाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। अतः राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–राजस्व–1 दिनांक 09.04.1984, संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1 दिनांक 12.09.1997 एवं संख्या–1115/XVIII(2)/2016-18(184)/2015 दिनांक 15.06.2016 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ आवंटन हेतु अधिकृत किये जाते हैंः–

1. लीज अवधि शिक्षा विभाग एवं अक्षय पात्र फाण्डेशन के मध्य सम्पादित अनुबन्ध की अवधि के साथ प्रसार–प्रयन्त्र (co-terminus) होगी अर्थात जब तक शिक्षा विभाग एवं अक्षयपात्र फाण्डेशन के मध्य अनुबन्ध प्रभावी रहेगा तब तक ही लीज की अवधि प्रभावी रहेगी।
2. प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि यदि शिक्षा विभाग की कोई भूमि रिक्त अथवा अनुपयोगी है तो सर्वप्रथम उसी भूमि को उपयोग में लाया जाय।

क्रमशः–2 पर

3. लीज रेन्ट दरों के संबंध में शिक्षा विभाग का शासनादेश संख्या–392(1)XXIV(1)/2017 /न0सू0अनु0/40/2017 दिनांक 30 जून, 2017 मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 82 (1)/XVIII(2)/2018 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
अपर सचिव।